हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांटी उप० रेस्पोन्डेन्टगण संख्या 01 व 02 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आहीं उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। तलबी को एक माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अतः रेस्पोन्डेन्टगण सं 01 व 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बांदीकुई के फाईल 2044 दिनांक 21/10/25 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वास्ते साक्ष्य/बहस पत्रावली पूर्व से शामिल पत्रावली है। दिनांक 11/11/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

11/11/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांटी उप० अपीलांटी वकील द्वारा मूल प्रा०पत्र अपील नामान्तरकरण पर बहस की गयी। हमने अपीलांटी वकील बहस का परमनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांटी वकील बहस पर मनन करने एवं अपील प्रा०पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलांटी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र नामान्तरकरण अपील स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

11.11.25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 03/2025
प्रकरण दायर दिनांक 07.04.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक 11.11.2025

उनवान

1. विजय कुमार सैनी पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल सैनी जाति माली उम्र 28 वर्ष निवासी बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा हाल कोठी मौहल्ला बीच का अलवर

:– अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 34
दिनांक 16.09.1998 ग्राम पंचायत बिवाई

प्रकरण निर्णय दिनांक 11.11.2025

अपीलान्ट द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण जर्ये वकील श्री हंसराज जांगिड के इस आशय से पेश किया है कि ग्राम पंचायत बिवाई के नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 16.09.1998 से व्यथित होकर निम्न उज्रात पेश किया है कि ग्राम बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 97 पुरानी 94 के खसरा नंबर 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 762, 763,772, 773, 774, 819, 820 कुल किता 16 कुल रकबा 2.81 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 98 पुरानी 95 के खसरा नंबर 20, 21 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं खेवट खतौनी संख्या नई 78 पुरानी 78 के खसरा नंबर 776 किता 01 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर खेवट खतौनी संख्या नई 96 पुरानी 93 खसरा नंबर 615, 633 कुल किता 02 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर स्थित है उक्त वर्णित भूमि मुश्तर्का खानदान की अविभाजित भूमि रही है जब अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण दिनांक 16.09.1998 को खुला तब ग्राम पंचायत कोरम बिवाई ने अपीलान्ट/प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे स्कूल मार्कसीट, मूलनिवास, आधार कार्ड, वोटर आई डी व राशनकार्ड आदि लिये बिना ग्राम पंचायत कोरम ने अपीलान्ट प्रार्थी का नामान्तकरण गलत नाम विजेन्द्र के नाम से खोल दिया जबकि अपीलान्ट प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड राशनकार्ड व स्कूल मार्कशीट आदि में विजय कुमार है जबकि ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण में विजेन्द्र गलत दर्ज कर दिया जिसे रेस्पोडेन्ट नंबर 01 द्वारा जमाबंदी खतौनी में सही अंकन कराना आवश्यक है। अपीलान्ट के नाम घर पर बोलता नाम विजेन्द्र के नाम से एवं भाईयो के साथ नामान्तकरण खोला गया था और जमाबंदी खेवट खतौनी भू प्रबंध विभाग में विजय कुमार की जगह विजेन्द्र अंकित कर विरासत का नामान्तकरण खोल कर दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जबकि विजेन्द्र नाम का अन्य

Scanned with OKEN Scanner

प्रभात्या के बजाय विजयकुमार पुत्र प्रभातीलाल दर्ज कर दिया जावे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलांटी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पर बहस की गयी। हमने प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पर वकील प्रार्थी बहस सुनी। बहस पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के एवं उसमे संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बिवाई द्वारा नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 16.09.1998 फैसल करते समय अपीलांटी के सही नाम की जॉच किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थी बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलांट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 16.09.1998 ग्राम पंचायत बिवाई स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बिवाई के निर्णय दिनांक 16.09.1998 द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 34 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिवत सुनवाई कर तथा अपीलांटी के सही नाम की जॉच कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

11.11.25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner